अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगानेर जयपुर द्वितीय,जयपुर व इजलास श्री धनश्याम शर्मा आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या – 132/2019

गोविन्द सिंह देवडा पुत्र डॉ0 एस.एस. देवडा जाति राजपूत, निवासी 597, आदर्श नगर,जयपुर।

..........वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता– तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

...........प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री घनश्याम शर्मा उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 912/519 रकबा 0.3600 हैक्टयर के स्थान पर रकबा 0.2950 हैक्टयर, खसरा नम्बर 913/528 रकबा 0.4700 हैक्टयर के स्थान पर रकबा 0.5100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 507 रकबा 0.4600 हैक्टयर के स्थान पर रकबा 0.4850 हैक्टयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सांगानेर को निर्णय एंव डिकी की प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

निज...मुबलिग...बावत...............................
.... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह.......................................फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...का अदा करें
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10/01/2020 को जारी की गई।

Scanned by CamScanner

मुहर
....

दस्तखत.................

ओहदा.................................

मुदई	रूप्ये	पैसे	मुदायलह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा		00	मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 132/2019
निर्णय दिनांक 10.10.2020

गोविन्द सिंह देवडा पुत्र डॉ0 एस.एस. देवडा जाति राजपूत
निवासी 597, आदर्श नगर, जयपुर।

...........वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता– तहसील कार्यालय सांगानेर जिला पुर।

............प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89, 91
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 10/01/2020

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक वाद पत्र न्यायालय में पेश किया कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 912/519 रकबा 0.3600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 913/528 रकबा 0.4700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 507 रकबा 0.4600 हैक्टयर वाके ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा भू.अभि.नि.क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, उक्त खातेदारी कृषि भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। वादी की खातेदारी के खसरा नम्बर 912/519 का रकबा राजस्व रिकार्ड में 0.3600 हैक्टयर दर्ज है, जबकि मौके पर राजस्व मानचित्र (नक्शा ट्रेस) के अनुसार उक्त खसरे में रकबा 0.2950 हैक्टयर भूमि है, इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 912/519 के रकबा में लगभग 0.0650 हैक्टयर भूमि बढी हुई अंकित कर रखी है। वादी की खातेदारी के खसरा नम्बर 913/528 का रकबा राजस्व रिकार्ड में 0.4700 हैक्टयर दर्ज है, जबकि मौके पर राजस्व मानचित्र (नक्शा ट्रेस) के अनुसार उक्त खसरे में रकबा 0.5100 हैक्टयर भूमि है, इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 913/528 के रकबा में लगभग 0.0400 हैक्टयर भूमि कम अंकित की हुई है। इसी प्रकार वादी की खातेदारी के खसरा नम्बर 507 का रकबा राजस्व रिकार्ड में 0.4600 हैक्टयर दर्ज है, जबकि मौके पर राजस्व मानचित्र (नक्शा ट्रेस) के अनुसार उक्त खसरे में रकबा 0.4850 हैक्टयर भूमि है, इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 507 के रकबा में लगभग 0.0250 हैक्टयर भूमि कम अंकित की हुई है। प्रतिवादी के राजस्व कर्मचारियों, अधिकारीयों द्वारा लापरवाहीपूर्वक वादी की खातेदारी की भूमि की मौके अनुसार एंव राजस्व रिकार्ड मानचित्र (नक्शा ट्रेस) की सही नाप के अनुसार जमाबन्दी में सही रकबा अंकित नहीं किया है तथा सहवन से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी की खातेदारी के

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 912/519 के रकबा में लगभग 0.0650 हैक्टयर भूमि बढी हुई दर्शा रखी है तथा वादी की खातेदारी के अन्य खसरा नम्बर 913/528 के रकबा में लगभग 0.0400 हैक्टयर व खसरा नम्बर 507 के रकबा में लगभग 0.0250 हैक्टयर इस प्रकार कुल रकबा 0.0650 हैक्टयर भूमि कम दर्शा रखी है, जिसको उक्तानुसार दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक एंव उचित है। वादी द्वारा खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 912/519 व खसरा नम्बर 913/528 व खसरा नम्बर 507 की मौके पर सही नाप एंव राजस्व रिकार्ड मानचित्र (नक्शा ट्रेस) के अनुरूप ही सही रकबा का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में करने हेतु प्रतिवादी को दिनांक 19-08-2019 को निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादी से कहा कि जमाबन्दी में रकबा बाबत हुए गलत अंकन में दुरूस्ती हेतु आप माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर के यंहा घोषणा एंव इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करें इसलिए वादी को उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी घोषणा करवाये जाने का अधिकारी है कि खसरा नम्बर 912/519 व खसरा नम्बर 913/528 व खसरा नम्बर 507 की मौके पर सही नाप एंव राजस्व रिकार्ड मानचित्र (नक्शा ट्रेस) के अनुरूप ही रकबा का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किया जावें तथा तदनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा इसी अनुरूप खसरा नम्बर 912/519 रकबा 0.3600 हैक्टयर के स्थान पर सही रकबा 0.2950 हैक्टयर व खसरा नम्बर 913/528 रकबा 0.4700 हैक्टयर के स्थान पर सही रकबा 0.5100 हैक्टयर व खसरा नम्बर 507 रकबा 0.4600 हैक्टयर के स्थान पर सही रकबा 0.4850 हैक्टयर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें, तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर अमल दरामद किया जावें।

वकील वादी ने दस्तावेज सूची के साथ प्रमाणित प्रतियां जमाबन्दी एंव नक्शा ट्रेस दिनांक 19-08-2019 ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगानेर पेश किये, जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया, प्रकरण में बहस अन्तिम सुनी गयी।

दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादी को वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मय दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एंव प्रतिवादी के जवाब के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 912/519 रकबा 0.3600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 913/528 रकबा 0.4700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 507 रकबा 0.4600 हैक्टयर की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित हैं तथा वादी द्वारा मौके अनुसार रकबा को जमाबन्दी में दुरूस्त किये जाने का कथन किया है, उक्त खसरा नम्बरान् के रकबा में कम-ज्यादा करने पर ग्राम के कुल रकबा पर कोई असर नही हो रहा है तथा नक्शा ट्रेस एंव मौके की नाप के अनुसार रकबा दुरूस्त किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतित नही हो रही है।

उक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 912/519 रकबा 0.3600 हैक्टयर व खसरा नम्बर 913/528 रकबा 0.4700 हैक्टयर व खसरा नम्बर 507 रकबा 0.4600 हैक्टयर के बाबत हुए गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त भूमि की मौके पर सही नाप एंव राजस्व रिकार्ड मानचित्र (नक्शा ट्रेस) के अनुरूप ही खसरा नम्बर 912/519 रकबा 0.3600 हैक्टयर के स्थान पर सही रकबा 0.2950 हैक्टयर व खसरा नम्बर 913/528 रकबा 0.4700 हैक्टयर के स्थान पर सही रकबा 0.5100 हैक्टयर व खसरा नम्बर 507 रकबा 0.4600 हैक्टयर के स्थान पर सही रकबा 0.4850 हैक्टयर की घोषणा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 912/519 रकबा 0.3600 हैक्टयर के स्थान पर रकबा 0.2950 हैक्टयर, खसरा नम्बर 913/528 रकबा 0.4700 हैक्टयर के स्थान पर रकबा 0.5100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 507 रकबा 0.4600 हैक्टयर के स्थान पर रकबा 0.4850 हैक्टयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसी अनुरूप डिक्री जारी हो।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सांगानेर को निर्णय एंव डिकी की प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/01/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ghanshyam Sharma
Date: 2020.02.07 16:36:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: